Government of National Capital Territory of Delhi have reported that as per standing instructions, an average of 50 to 55 undertrials are transported in one jail van and there is no congestion or suffocation.

Defective bullet proof jackets procured for Delhi Policemen

7772. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the bullet proof jackets procured for Delhi Policemen engaged in VVIP security have been found to be defective;

(b) if so, the firms from which the said jackets have been procured.

(c) whether the trials of the jackets were not taken into account before entering into contracts with the firm;

(d) if so, who is responsible for this lapse; and

(e) what measures now Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (e) Government of NCT of Delhi has reported that on the basis of tests carried out, bullet proof jackets of two varieties were procured from M/s. Progressive Technologies of America through the State Trading Corporation. After the supply was received, the jackets were again subjected to test during which one type of jacket was not found upto the mark. The matter has already been taken up by the Delhi Police with the State Trading Corporation of India for its return.

चकमा शरणार्थियों के राशन में कटौती

7773. **श्री राम जेठमलानी:**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1994 के दैनिक टेलीग्राफ में "चकमाज़ एलेज़ राशन कट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चकमा संगठन के अध्यक्ष द्वारा लगाया गया यह आरोप सच है कि चकमा शरणार्थियों को जबरदस्ती बंग्लादेश भेजा जा रहा है और उनको दिए जा रहे राशन की मात्रा में कमी की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस आरोप के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक चकमा शरणार्थी को अब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् शरणार्थी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि वापस जाने का उनका फैसला स्वयं उनका फैसला है और इसके लिए उन पर किसी का दबाव नहीं है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनको राशन की मदों की आपूर्ति की जा रही है तथा किसी मद की कमी हो जाने की स्थिति में राज्य सरकार के प्राधिकारी उस मद के एवज़ में नकद भुगतान करने की व्यवस्था करते हैं।

(घ) सुविधाओं में अस्थाई आवास, वस्त्र, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, जेब खर्चा भत्ता, राशन का सामान, सुरक्षा, चादर, इत्यादि देना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी निधियों का दुरुपयोग

7774. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1994 के दैनिक "टाइम्स आफ इंडिया" में "फन्ड्स सिफोन्ड आफ

सेज़ चव्हाण" शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के सरकारी अधिकारियों ने उग्रवादियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सरकारी निधियों का दुरुपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि का दुरुपयोग किए जाने का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के मामलों के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पयालट): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों के तथाकथित रूप से उग्रवादियों से मेल जोल/सांठ-गांठ और राज्य में विकास कार्यों के लिए दिए गए धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट समय-समय पर मिलती रही हैं। तथापि, तथाकथित रूप से दुरुपयोग में लाए गए सम्भावित धन के बारे में कोई आंकड़े अथवा आंकलन देना संभव अथवा व्यवहार्य नहीं है।

(घ) और (च) इन आरोपों की आर-पार जांच करने के लिए किसी समिति की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जब भी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराए जाने सहित समुचित जांच की जाती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता विभाग की गतिविधियों को अधिक मजबूत एवं सघन बनाएं। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपनी इस चिन्ता से भी अवगत करा दिया है कि कार्य की कड़ी मानीटरिंग और पर्यवेक्षण करने तथा जबाव-देही में वृद्धि करके धन की उपयुक्त उपयोगिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

Case against NHIDCO Housing Private Limited

7775. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what have been the findings of investigation conducted by the CID Branch of Delhi Police against NHIDCO Housing Private Limited, New Delhi-15;

(b) whether the owner/partners of the company have been traced;

(c) what action is proposed to be taken for refund of the deposits collected from a large number of members/depositors;

(d) what has been the total amount collected by the Company for allotment of houses and the amount refunded, if any; and

(e) whether steps are being taken to prosecute the company?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) The Government of National Capital Territory of Delhi has reported that initially investigation was taken up by the local police and later on by the Crime Branch. A number of complaints from persons against NHIDCO (M/s. National Housing and Development Corporation), New Delhi were received for not providing dwelling units as promised although the instalments have been collected. Cases u/s 420 IPC were registered.

(b) Out of four Directors of the Company, three had been arrested and are facing trial. The fourth Director of the Company is absconding and was declared a Proclaimed Offender.

(c) The matter is sub-judice.

(d) The details of the exact amount received by the accuseds or refunded by them are not available. Only 36 complaints could be received out of the 384 depositors.